राजस्थान सरकार
नगरीय विकास और आवासन विभाग

सं. एफ.3(1087)यू.डी.एच./2012 जयपुर, दिनांक: 17.1.2013

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 73–क के साथ पठित धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप–विभाजन, पुनर्गठन और सुधार) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 74 की उप–धारा (2) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन नियमों के पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**, (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप–विभाजन, पुनर्गठन और सुधार) (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 9 का संशोधन**,– राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप–विभाजन, पुर्नगठन और सुधार) नियम, 1975, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 9 के उप–नियम (2) के नीचे आये विद्यमान टिप्पण (1), (2) और (3) हटाये जायेंगे।

3. **नियम 11 का प्रतिस्थापन**,– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**11. विक्रेय क्षेत्र**.– भूखण्डों के उप–विभाजन, पुनर्गठन और सुधार की किसी स्कीम में विक्रेय क्षेत्र कुल क्षेत्र के 66 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तथापि 2 हैक्टर तक की विकास की स्कीमों में यह विद्यमान नगरी नीति के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अधिक हो सकेगा।"

4. **नियम 12 का प्रतिस्थापन**,– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"12. भू–खण्डों का उप–विभाजन या पुनर्गठन– (1) भूखण्डों के उप–विभाजन, पुनर्गठन या सुधार की स्कीमों में कोई भूखण्ड जो आवासिक है या आवासिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाना आशयित है, 35 वर्ग गज से कम या 1500 वर्ग गज से बड़ा नहीं होगा :

परन्तु यह कि न्यास राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, भूखण्डों के पुनर्गठन या, यथास्थिति, उप–विभाजन की स्कीमों में 1500 वर्ग गज से बड़े भूखण्डों के पुनर्गठन या उप–विभाजन के लिए इस शर्त पर अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा कि पुनर्गठित भूखण्डों का सैट बैंक, पुनर्गठित भूखण्डों के आकार, इनमें से जो भी अधिक हो, पर लागू विद्यमान भवन उप–विधियों की स्कीम के अनुसार होगा और भूखण्डों के उप–विभाजन की दशा में, मूल भूखण्ड का सैट बैक ही रखा जायेगा। ऐसे पुनर्गठित भूखण्डों की अधिकतम व्याप्ति और ऊंचाई विद्यमान भवन उप–विधियों के अनुसार होगी।

(2) ऐसे रास्ते या स्कीम, जिसमें भूखण्ड का उप–विभाजन चाहा गया है, पर परिकल्पित विकास के विद्यमान स्वरुप पर सदैव सम्यक् ध्यान दिया जायेगा और अन्य सैट बैक लाइने अपरिवर्तित बनी रहेंगी।

(3) भूखण्डों के उप–विभाजन, पुनर्गठन या सुधार की स्कीमों में कोई भूखण्ड, जो वाणिज्यिक है या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त किया जाना आशयित है, 10 वर्ग गज से कम या 1500 वर्गगज से बडा नहीं होगा :

परन्तु यह कि न्यास राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, भूखण्डों के पुनर्गठन या, यथास्थिति, उप–विभाजन की स्कीमों में 1500 वर्ग गज से बड़े भूखण्डों के पुनर्गठन या उप–विभाजन के लिए इस शर्त पर अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा कि पुनर्गठित भूखण्डों का सैट बैक, पुनर्गठित भूखण्डों के आकार, इनमें से जो भी अधिक हो, पर लागू विद्यमान भवन उप–विधियों की स्कीम के अनुसार होगा और भूखण्डों के उप–विभाजन की दशा में मूल भूखण्ड का सैट बैक ही रखा जायेगा। ऐसे पुनर्गठित भूखण्ड की अधिकतम व्याप्ति और ऊंचाई विद्यमान भवन उप–विधियों के अनुसार होगी।"

राज्यपाल के आदेश से,

(गुरुदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन-सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. उपशासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद /पालिका ।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय